

| <p>तारीख हुक्म</p> | <p>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज</p> | <p>न अहक हुक्म को में जारी</p> |
|------------------------|---|--|
| <p>20/3/2018</p> | <p>वदुलाय डपठा मूल निगरानी के साथ पत्रावली दि. 12/3/2018 को पेश की।</p> <p style="text-align: center;">M</p> <p style="text-align: center;">अति. जिला कमिश्नर, पानी</p> | |
| <p>12/3/2018</p> | <p>बकील मंडल ने आज न्यायालय में उपस्थिति नहीं देने का निर्णय लिया, है। पेशी इलतवा होकर पत्रावली दिनांक 27/3/2018 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;"><u>डी.गौर:</u></p> | |
| <p>27/3/18</p> | <p>वदुलाय डपठा प्रकरण से संबंधित मूल निगरानी बक्स में भिन्न है। इस स्थिति में स्थगन प्रा.पत्र को निर्धारित दिया जाना आवश्यक है। इस पर डायरी प्रका को सुना गया। निष्कर्षित: इस न्यायालय द्वारा जारी स्थगन आदेश दि. 9.9.2016 को मूल निगरानी के निर्धारित तक पुस्तक पेशा जाता है। पत्रावली नम्बर से कम लेकर मूल निगरानी के नवीनीकरण</p> <p style="text-align: right;">अति. जिला कमिश्नर, पानी</p> | |